



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20453 वर्ष 2026

अशोक

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार शुक्ला, जाहिद खान

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार शुक्ला, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री रौनक सिंह, श्री महेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का पक्ष सुना।
2. यह वर्तमान जमानत याचिका, पुलिस स्टेशन ज़रीफ नगर, जिला बदायूं में पंजीकृत प्रकरण अपराध संख्या 317/2025, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 105, 118(1), 117(3), 110 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना - देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट छह नामजद अभियुक्तों और कई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, और उसमें केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायलों के साथ-साथ कथित चश्मदीदों ने कथित घटना के तीन दिन बाद ही आवेदक का नाम उजागर किया, जो आवेदक के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के प्रकरण की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। आवेदक के विद्वान



अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, प्रमोद को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 18941/2026 में दिनांक 3.6.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.12.2025 से कारावास में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त, प्रमोद को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, प्रमोद को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 26.12.2025 से कारावास में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
8. आवेदक- **अशोक**, जो उपरोक्त प्रकरण में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।
 - (ii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। युक्तियुक्त कारण के



- बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-A भा0द0सं0/ 269 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/ 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-A भा0द0सं0/ 209 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।
- (iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) प्रकरण के उद्घाटन, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत खारिज करने का आधार बनेगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां, साक्षियों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

फहद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)